

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 152/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

बोगी उर्फ बोगी देवी पत्नी रामलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 8 खेदासरी तहसील
रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादीया

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री मांगीलाल वर्मा वकील-वादीया
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 30/5/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर
के समक्ष श्री मांगीलाल वर्मा वकील वादीया व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर
उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 2 केडीएम के खाता
सं. 68/52 के प.नं. 29/26(107) कि.नं. 11 ता 14, 17 ता 20, 21/2 ता 24/2, प.नं.
29/27(130) कि.नं. 1 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19 की कुल 6.225 है. में से
1/8 हिस्सा में दर्ज वादीया का नाम बागी पत्नी रामलाल के स्थान पर बोगी उर्फ बोगी
देवी पत्नी रामलाल दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी
बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30/5/2025
को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

